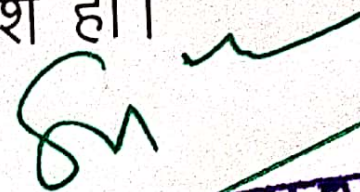


30.05.2026

वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 (1,2,3,4) 1/1/1,
1/1/2 उपस्थित। शेष अनुपस्थित, जिनकी एक पक्षीय कार्यवाही है।
वादी के मुख्य वकील कोटा उपस्थित नहीं होने से उनके सहायक
अधिवक्ता ने मंजीद बहस हेतु अवसर चाहा। प्रकरण बीस वर्ष पुराना
प्रकरण है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा चिन्हित प्रकरणों में
पहले नम्बर का प्रकरण का है जो आवश्यक प्रकृति का है। पत्रावली वास्ते
मंजीद बहस दिनांक 11.06.2026 को पेश हो।


उत्तर जिला न्यायाधीश
रामराज जी जिला कोटा